The Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019

Act 14 of 2019

Keyword(s):
Acknowledgment Certificate, Approval, District Empowered Committee, Enterprise, State Empowered Committee

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.
भाग  4  (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(गृप-2)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 17, 2019
संख्या  प.2(24)विधि/2/2019.- राजस्थान राज्य विधान-मंडल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 जुलाई, 2019 को प्राप्त हुईं, एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः:-
राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019
t(2019 का अधिनियम संख्याक 14)
(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 जुलाई, 2019 को प्राप्त हुई)
राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए कलिपय अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट के लिए और उससे संस्कर्त या आनुषंधिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।
यद:. समावेशी आर्थिक वृद्धि और निर्यात सृजन के संवर्धन की उद्देश्य से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विनिर्दिष्ट अवशेषकारों पर ध्यान देना और उद्यमिता का संवर्धन करना राज्य का लक्ष्य है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए अपेक्षित कलिपय अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट को भारी करना समीचीन है; 
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाना हैः
1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019 है।
(2) इसका प्रसार समपूर्ण राजस्थान राज्य में है।
(3) यह 4 मार्च, 2019 को और से प्रूक्त हुआ समझा जायेगा।
2. परिभाषाएँ.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः
(क) "अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र" से धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र अभिमित है;
(ख) "अनुमोदन" से राजस्थान राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रवर्तन के संबंध में किसी राजस्थान विधि के अधीन अपेक्षित कोई अनुमा, अन्यायपति, अनुजनापन, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, अनुजनापि इत्यादि अभिमित है;
भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, जुलाई 18, 2019 45 (ग) "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार का कोई विभाग या एजेंसी या कोई स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय, राज्य के स्वामितवाधीन निगम, पंचायती राज संस्था, नगरपालिका, नगर विकास विभाग, नगर सुधार न्याय या किसी राजस्थान विधि दौरा या उसके अधीन या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित कोई भी अन्य प्राधिकारी या एजेंसी, जिसको राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रवर्तन के लिए अनुमोदन मंजूर या जारी करने के लिए शक्तियाँ या उत्तरदायित्व न्यस्त किये गये हैं, अभिप्रेरित है;

(घ) "जिला सशक्त समिति (जिसे)" से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामाजिक और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 3 के अधीन गठित जिला सशक्त समिति अभिप्रेरत है;

(घ) "उद्यम" से कोई सूचक, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेरित है;

(घ) "सरकार" से राजस्थान राज्य सरकार अभिप्रेरित है;

(घ) "सूचक, लघु या मध्यम उद्यम" से सूचक, लघु या मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 27), समय-समय पर यथासंस्थिति, में यथाप्रस्तावित सूचक, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेरत है;

(घ) "नोडल एजेंसी" से धारा 3 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसी अभिप्रेरित है;

(घ) "अधिसूचना" से राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेरित है और शब्द 'अधिसूचना' का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनायें गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेरित है;

(घ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेरित है; और

(घ) "राज्य सशक्त समिति (राजस्थान)" से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामाजिक और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 3 के अधीन गठित राज्य सशक्त समिति अभिप्रेरत है।

3. नोडल एजेंसी.- (1) सरकार और राज्य सशक्त समिति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, विनियम संवर्धन व्यूह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार नोडल एजेंसी होगा।

(2) सरकार और जिला सशक्त समिति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला उद्योग केंद्र इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जिला स्तरीय नोडल एजेंसी होगा।

4. नोडल एजेंसियों की शक्तियाँ और कृत्य.- (1) सरकार के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, नोडल एजेंसियों की शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होगे:-

(क) राज्य में उद्योग की स्थापना में सहायता करना और उसे सुकर बनाना; और

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त आशय की घोषणा और जारी किये गये अभिप्रेततृती धारणापत्र का अभिलेख संभारित करना।

(2) सरकार, नोडल एजेंसियों को ऐसी अन्य शक्तियाँ और कृत्य समन्वित कर सकती जैसे कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए योगदान समझे।
5. घोषणा का फाइल किया जाना।- (1) कोई व्यक्ति जो कोई उदयम आरंभ करने का आशय रखता है, राज्य स्तरीय नोडल एजससी को उदयम आरंभ करने के आशय की घोषणा, ऐसे प्रस्तृप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, दे सकेगा।

स्पष्टीकरण.- कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापूर्वार्थि अध्यायत्त अनुमोदनों को अभिप्राप्त करने के लिए सक्षम प्राप्त नहीं करने की आवश्यकता का आवेदन किया है, वह इस उप-धारा के अधिन कोई उदयम आरंभ करने के आशय की घोषणा देने का विवेचन भी दे सकेगा।

(2) सभी प्रकार से पूर्ण घोषणा की प्राप्ति पर, राज्य स्तरीय नोडल एजससी उस व्यक्ति को, जिसने उप-धारा (1) के अधीन घोषणा दी है, विहित प्रस्तृप में, तत्काल अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करेगी।

6. अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र का प्रभाव।- (1) धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र, सभी प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रभावी होगा माना जाएगा कि इसके जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए, धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापूर्वार्थि अधिनियम को अभिप्राप्त करने के लिए सक्षम प्राप्त नहीं करने को कोई दद्म आरंभ करने की आवश्यकता का विवेचन भी दे सकेगा।

(2) सभी प्रकार से पूणवें घोषणा की प्राप्ति पर, राजस्थान नोडल एजससी को जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, आर्थिक अनुमोदन का ड्यूटी भी करने का धारा 5 के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किये जाने की तारीख से तीन दशक के भीतर, उस उदयम को ऐसी समाप्ति की तारीख से छह मास के भीतर भीतर धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापूर्वार्थि अभिप्राप्त अनुमोदन करने होगे:

परन्तु अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र, किसी व्यक्ति को मास्टर योजना, जहां कहीं भी ऐसी योजना प्रस्तुत है, मैं विनिर्दिष्ट भूमि-उपयोग के मिलन किसी भूमि-उपयोग का हकदार नहीं बनायेंगा। यह किसी व्यक्ति को राजस्थान अभिस्वीकृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 16 में यथाविनिर्दिष्ट निर्विवध किसी अनुवंशानुष्ठान जराां की जाने का अधिकार आदि के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग करने का भी हकदार नहीं बनायेंगा।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन वर्ष की कालावधि के दौरान, कोई भी सक्षम प्राधिकारी धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापूर्वार्थि अधिनि अनुमोदन के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा।

7. छूट।- जहां सरकार या उसके अधीन कोई प्राधिकारी, किसी उदयम को किसी भी अनुमोदन या निरीक्षण या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उसके संबंध में किसी उपयोगों में छूट देने के लिए सशक्त हुआ था वह सरकार या, यथाविवध, अथवा किसी प्राधिकारी, ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपयोगों के अध्याय रहते हुए, राज्य में स्थापित किसी उदयम को, धारा 5 के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किये जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की कालावधि के लिए, ऐसी छूट देने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

8. सद्धार्थपूर्वक की गयी कार्यवाह के लिए संरक्षण।- सरकार या नोडल एजससी या सक्षम प्राधिकारी अथवा सरकार, नोडल एजससी या सक्षम प्राधिकारी के किसी कर्मचारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियमों के अधीन सद्धार्थपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशियत किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाह नहीं होगी।

9. अधिनियम का अन्य विधियों पर अधिकार होना।- (1) इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रकृतिस्थिति किसी अन्य राजस्थान विधि में अंतर्विष्ट उसमें असंगत किसी बात के होने पर भी, प्रभावी होगे।
भाग 4 (क) राजस्थान राज-पर, जुलाई 18, 2019

(2) विशिष्टतया और इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपबंध, निम्नलिखित अधिनियममितियों में अन्तःविषय उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होगे और इन अधिनियममितियों के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपर संशोधित रूप में पढ़े जायेंगे, अर्थातः-

(क) राजस्थान अधिपृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3);
(ख) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15);
(ग) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35);
(घ) राजस्थान रामप्लापन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं. 12);
(ङ) नायर पिकाच प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25);
(च) राजस्थान नगरपालिका राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13);
(छ) राजस्थान प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18);
(ज) जवाधन पिकाच प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2); और
(झ) अजमेर पिकाच प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39).

10. व्यावहारिता- धारा 7 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए, इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि किसी उदय को, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित सीमा तक के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के लागू होने से या तद्धीन विहित किन्हीं विनियमकारी अध्ययनों और मानकों से छूट दी गयी है।

11. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपर'' मस प्रकाशित आदेि द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेंगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाइ के निराकरण के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अर्थों भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की कालवधि की समाजप्त के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अर्थों किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन की समस्त राज्य सर'' मस हो, चरदह दन से अन्न की कालवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेंगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रहे जाते हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधानमण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई भी उपाल्यन करता है या यह संकेत करता है कि ऐसे की नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपाल्यनिर्भर रूप में प्रभावी होंगे, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपाल्यन या बालकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विविधान्वयन तथा ऐसे प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
13. निरसन और व्यवस्थिताओं- (1) राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होने पर भी और राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रश्न फटाफट बिना, उक्त अध्यादेश के अंतर्गत की गयी समस्त बातें, की गयी कार्यवाहियां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अंतर्गत किये गये समझे जायेंगे।

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, July 17, 2019

No. F. 2 (24) Vidhi/2/2019.- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Sookshma, Laghu Aur Madhyam Udyam (Sthapana Aur Pravartan Ka Sukarikaran) Adhiniyam, 2019 (2019 Ka Adhiniyam Sankhyank 14):

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2019
(Act No. 14 of 2019)

(Received the assent of the Governor on the 17th day of July, 2019)

An
Act
to provide for exemption from certain approvals and inspections for establishment and operation of the micro, small and medium enterprises in Rajasthan and matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas, with a view to promote inclusive economic growth and employment generation, the State aims to address the specific needs of the micro, small and medium enterprises and promote entrepreneurship, it is expedient to give effect to exemption from certain approvals and inspections required for establishment and operation of micro, small and medium enterprises;

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-
1. **Short title, extent and commencement.**-(1) This Act may be called the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 4th March, 2019.

2. **Definitions.**- In this Act, unless the context otherwise requires,-

   (a) “Acknowledgment Certificate” means the acknowledgment certificate issued under section 5;

   (b) “approval” means any permission, no-objection, clearance, consent, approval, registration, licence and the like, required under any Rajasthan Law in connection with the establishment or operation of an enterprise in the State of Rajasthan;

   (c) “Competent Authority” means any department or agency of the Government or a local authority, statutory body, State owned corporation, Panchayati Raj Institution, Municipality, Urban Development Authorities, Urban Improvement trust or any other authority or agency constituted or established by or under any Rajasthan Law or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or operation of an enterprise in the State;

   (d) “District Empowered Committee (DEC)” means the District Empowered Committee constituted under section 3 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 (Act No. 7 of 2011);

   (e) “enterprise” means a micro, small or medium enterprise;

   (f) “Government” means the State Government of Rajasthan;

   (g) “micro, small or medium enterprise” means the Micro, Small or Medium Enterprises, as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act No. 27 of 2006), as amended from time to time;

   (h) “nodal agency” means the nodal agency referred to in section 3;

   (i) “notification” means a notification published in the Rajasthan Gazette and the word ‘notified’ shall be construed accordingly;

   (j) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;

   (k) “State” means the State of Rajasthan; and

   (l) “State Empowered Committee (SEC)” means the State Empowered Committee constituted under section 3 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 (Act No. 7 of 2011).

3. **Nodal Agency.**-(1) Subject to superintendence, direction and control of the Government and the State Empowered Committee, Bureau of Investment Promotion shall be the State level Nodal Agency for the purpose of this Act.
(2) Subject to superintendence, direction and control of the Government and the District Empowered Committee, District Industries Centre shall be the District level Nodal Agency for the purpose of this Act.

4. Powers and functions of nodal agencies.- (1) Subject to the superintendence, direction and control of the Government, the powers and functions of the nodal agencies shall be as follows:

(a) to assist and facilitate establishment of enterprises in the State; and

(b) to maintain the record of Declaration of Intent received and Acknowledgement Certificate issued under this Act.

(2) The Government may assign such other powers and functions to the nodal agencies as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Act.

5. Filing of Declaration.- (1) Any person who intends to start an enterprise may furnish to the State level nodal agency a declaration of intent to start an enterprise in such form and in such manner as may be prescribed.

Explanation.- Any person who has moved the Competent Authority to so obtain all or any of the approvals as defined in clause (b) of section 2 before the commencement of this Act may also opt to furnish Declaration of Intent to start an enterprise under this sub-section.

(2) On receipt of a declaration completed in all respects, the State level nodal agency shall, forthwith, issue an Acknowledgment Certificate, in the prescribed form, to the person who furnished the declaration under sub-section (1).

6. Effect of the Acknowledgement Certificate.- (1) An Acknowledgement Certificate issued under section 5 shall, for all purposes, have effect as if it is an approval as defined in clause (b) of section 2, for a period of three years from the date of its issuance and after the expiry of the said period of three years, the enterprise shall have to obtain required approvals as defined in clause (b) of section 2 within six months from the date of such expiry:

Provided that the Acknowledgement Certificate shall not entitle a person to use a land in deviation to the land use specified in the master plan wherever such plan is in force. It shall also not entitle a person to use the land falling in restricted category namely pasture land, water body, etc. as specified in section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No.3 of 1955).

(2) During the period of three years specified in sub-section (1), no competent authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval as defined in clause (b) of section 2.

7. Exemption.- Where the Government or any authority under it is empowered to exempt any enterprises from any approval or inspection or any provisions relating thereto under any Central Act, the Government or, as the case may be, any such authority shall, subject to the provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to an enterprise established in the State for at least a period of three years from the date of issue of the Acknowledgement Certificate under section 5.
8. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or Nodal Agency or Competent Authority or any employee of the Government, Nodal Agency or Competent Authority for anything which, in good faith, is done or intended to be done under this Act or any rules made thereunder.

9. Act to override other laws.—(1) The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Rajasthan law, for the time being in force.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions of this Act, such provisions shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the following enactments and the provisions of these enactments shall be read as amended in conformity with the provisions of this Act, namely:-

(a) Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955);
(b) Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);
(c) Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959);
(d) Rajasthan Gramdan Act, 1971 (Act No. 12 of 1971);
(e) Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982);
(f) Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);
(g) Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);
(h) Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009); and

10. Savings.—Subject to the provisions of section 7, nothing in this Act shall be construed as exempting any enterprise from the application of the provisions of any law for the time being in force, or any regulatory measures and standards prescribed thereunder, except to the extent expressly provided in this Act.

11. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature.

12. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such
modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

13. **Repeal and savings.** (1) The Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 ( Ordinance No. 1 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal and without prejudice to the provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955), all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

महावीर प्रसाद शर्मा,
Principal Secretary to the Government.

-----------------

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर |